न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–108/20 (2020/00169) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. किशना पिता नगंजी गाडरी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उदयराम पिता हीरा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. शान्तिलाल पिता जोरावरमल भदादा (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर
2. श्यामलाल पिता मोहनलाल भदादा (महाजन) निवासी रायपुर हाल निवास सुरम्य बंगलों अमितनगर बड़ौदा गुजरात
3. चान्दमल पिता मोहनलाल भदादा (महाजन) निवासी रायपुर हाल निवास प्लाट नम्बर 41, फ्लेट नम्बर 04, सेक्टर नम्बर 12 वासी नई मुम्बई थाणे महाराष्ट्र
4. कंचनदेवी पुत्री मोहनलाल भदादा (महाजन) पत्नि भरतजी कोठारी निवासी रायपुर हाल निवास कोठारी मौहल्ला राजाजी का करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. गीतादेवी पुत्री मोहनलाल भदादा (महाजन) पत्नि गोविन्दजी मंत्री निवासी रायपुर हाल निवास स्वर्णमाला ज्वैलर्स, गोल प्याउ चौराया, भोपालगंज, भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर – प्रार्थी अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन – विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 11.11.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी संख्या 423 रकबा 0.03 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 126 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 20.08.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु वि[illegible] पड़ा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:07:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 14.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिकार पत्र एंव जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 423 रकबा 0.03 है0 प्रार्थीगण के कब्जे करश्त की नही होकर रास्ते के रूप में व नाला के रूप में उपयोग आ रही है। उक्त भूमि किस्म गै.मु. रास्ता होकर उक्त भूमि पचास वर्ष से अधिक समय से सार्वजनिक रास्ता व नाले के रूप में आ रही है। जिस पर प्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि की पत्थर गढ़ी कराने के अधिकारी नही है प्रार्थीगण पचास साल पुराने रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर रास्ता बंद करने की नियत से पत्थरगढ़ी कराने चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी संख्या 423 रकबा 0.03 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.11.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:07:02 IST
Reason: SelfAttested

Kg, 111,128

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—108 / 20 (2020 / 00169) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. किशना पिता नगंजी गाडरी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उदयराम पिता हीरा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. शान्तिलाल पिता जोरावरमल भदादा (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर
2. श्यामलाल पिता मोहनलाल भदादा (महाजन) निवासी रायपुर हाल निवास सुरम्य बंगलों अमितनगर बड़ौदा गुजरात
3. चान्दमल पिता मोहनलाल भदादा (महाजन) निवासी रायपुर हाल निवास प्लाट नम्बर 41, फ्लेट नम्बर 04, सेक्टर नम्बर 12 वासी नई मुम्बई थाणे महाराष्ट्र
4. कंचनदेवी पुत्री मोहनलाल भदादा (महाजन) पत्नि भरतजी कोठारी निवासी रायपुर हाल निवास कोठारी मौहल्ला राजाजी का करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. गीतादेवी पुत्री मोहनलाल भदादा (महाजन) पत्नि गोविन्दजी मंत्री निवासी रायपुर हाल निवास स्वर्णमाला ज्वैलर्स, गोल प्याउ चौराया, भोपालगंज, भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 11.11.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी संख्या 423 रकबा 0.03 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / —रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 11.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

11.11.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:07:02 IST
Reason: SelfAttested